उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या 120/2018/2135/92-2-2018-34जांच/18
लखनऊ :: दिनांक:: 14 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय हाईस्कूल टाण्डा अफजल के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य अभियंता (प0क्षे0) की जांच आख्या दिनांक 26-12-2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 66,735.67 एवं संभावित क्षति रू0 60,291.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री हेमन्त सक्सेना, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने एवं प्रकरण में विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद को पदेन प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) ससमय शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-120/2018/2135(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-887/ग्रा0 अ0वि0/नि0जांच/शि0-मुरादाबाद/2017-18 दिनांक 19.01.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति **संलग्नकर** इस आशय से प्रेषित कि श्री सक्सेना के विरूद्व आरोपपत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद।

3- श्री हेमन्त सक्सेना, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-लखनऊ द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in